जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Estt/1090/15/1383 दिनांक : 17.06.2017

कार्यालय आदेश

श्री विरल कुमार, क्षेत्रीय समन्वयक, प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, चेवारा (शेखपुरा) के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के संबंध में उनसे कारण पृच्छा की मांग की गयी थी। उनसे प्राप्त उत्तर के विवेचन से स्पष्ट होता है कि :-

1) ऑफिस ब्वॉय घाटकुटुसम्भा द्वारा प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, घाटकुटुसम्भा के विरूद्ध की गयी शिकायत को 'वाट्सएप' के माध्यम से सार्वजनिक करने में श्री विरल कुमार की भूमिका थी तथा इस संबंध में इनके द्वारा समर्पित यह स्पष्टीकरण मान्य नहीं है कि ऐसा इसलिए किया गया कि ऑफिस ब्वॉय के आवेदन पर शीघ्र समुचित कार्रवाई हो सके। यदि ऑफिस ब्वॉच को शिकायत करनी थी तो उसे जिला परियोजना समन्वयन इकाई/जिला परियोजना प्रबंधक को आवेदन के माध्यम से करना चाहिए था। श्री विरल कुमार का यह कृत्य महिला प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक को परेशान करने तथा उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से किया गया था।

2) अपने उत्तर में श्री विरल कुमार ने लिखा है कि उन्होंने तत्कालीन जिला परियोजना प्रबंधक तथा पूर्व प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं कई अन्य वरीय कर्मियों के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शेखपुरा के न्यायालय में दिनांक 21.03.201 एवं 15.10.23015 को 'सनहा' दायर किया है जिसमें संदेह व्यक्त किया गया है कि वे लोग उन्हें किसी झूठे मामले में फंसा सकते हैं या नौकरी से हटवा सकते हैं।
साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अपने उच्छृंखल तथा अमर्यादित आचारण को ढ़कने तथा बी.आर.एल.पी.एस. की आचार संहिता के विपरीत आचरण करने के आरोप Pre-empt के करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। यह प्रतीत होता है कि श्री विरल कुमार का आचरण महिला कर्मियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है।

3) श्रीमति पिंकी कुमारी द्वारा तत्कालीन महिला प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक तथा महिला प्रशिक्षण पदाधिकारी एवं अन्य दो के विरूद्ध एससी/एसटी , एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 (1) (X) के अंतर्गत दायर वाद में भी श्री विरल कुमार वादी की ओर से गवाह बने थे। एक ही जिले में इतने अधिक कर्मियों के विरूद्ध किसी सहकर्मी द्वारा वाद दायर किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय में न देकर किसी एक पक्ष की ओर से गवाह बन जाना यह प्रदर्शित करता है कि उनका आचरण सहकर्मियों के प्रति स्वस्थ व सौहार्दपूर्ण नहीं है और उनके कृत्य से परियोजना की छवि लगातार धूमिल हो रही है। संबंधित जिले में अनुशासन व काम-काज के माहौल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

आनंद शंकर
17/6/17

4) पूर्व में श्री विरल कुमार को कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने तथा अनुशासनहीनता के लिए चेतावनी दी गयी थी और संचयात्मक प्रभाव एवं वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गयी थी। उन्हें सचेत किया गया था की उन्होंने अपने आचरण में सुधार नहीं किया तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। परंतु इस सजा व चेतावनी का उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री विरल कुमार इस परियोजना में रहने के योग्य नहीं है। उनकी उपस्थिति से परियोजना की छवि खराब होती है साथ ही परियोजना का वातावरण विषाक्त होता है। अत: श्री विरल कुमार का सेवा अनुबंध तत्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

आनंद शंकर
17/6/17

(आनन्द शंकर)
राज्य परियोजना प्रबंधक- मानवसंसाधन

श्री विरल कुमार,
क्षेत्रीय समन्वयक, चेवारा, शेखुपुरा।

प्रतिलपि –

1. निदेशक/ विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रशासी पदाधिकारी/ मुख्य वित्त प्रबंधक
2. सभी प्रोग्राम कॉरडिनेटर/ राज्य परियोजना प्रबंधक/परियोजना प्रबंधक/राज्य वित्त प्रबंधक/सहायक वित्त प्रबंधक
3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ प्रबंधक- मानव संसाधन/प्रबंधक – वित्त
4. आई० टी० शाखा
5. संबंधित संचिका